हरियाणा सरकार

महिला एंव बाल विकास विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 2014–15

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2014–15 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

महिलाओं एवं बच्चों के समुचित विकास तथा उनसे सम्बन्धित योजनाओं को विस्तृत रूप देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग दृढ़ संकल्पित है। विभाग द्वारा राज्य व केन्द्र स्तर पर सीधे नियन्त्रण में तथा इसके संरक्षण में कार्य कर रहे हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा हरियाणा महिला आयोग को वित्तीय सहायता देकर तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई गई। वर्ष 2014–15 के दौरान चलाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रमो का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

बजट व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के वर्ष 2014–15 के मूल बजट में कुल 1057.24 करोड़ रु0 की राशि की व्यवस्था की गई, जिसमें से 418.00 करोड़ रु0 स्टेट प्लान तथा 420.65 करोड़ रु0 सैंट्रल प्लान तथा 218.59 करोड़ रु0 नॉन प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गये। विभाग का संशोधित बजट 1114.15 करोड़ रु0 था, इसमें से 419.35 करोड़ रु0 स्टेट प्लान 478.42 करोड़ रु0 सैन्ट्रल प्लान तथा 216.38 करोड़ रु0 नॉन प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गए। वर्ष 2014–15 में स्टेट प्लान के अन्तर्गत 238.05 करोड़ रु0, सैन्ट्रल प्लान के अन्तर्गत 313.36 करोड़ रु0 तथा नॉन प्लान के अन्तर्गत 203.08 करोड़ रु0 अर्थात कुल 754.49 करोड़ रु0 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किए गए। वर्ष 2014–15 के दौरान बजट व्यवस्था एवं व्यय विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है।

विभाग द्वारा चलाये गये नये कार्यक्रम/योजनाए :–

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को जिला पानीपत, हरियाणा में किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सांझे प्रयासों द्वारा हुआ। इस स्कीम का उद्देश्य जैण्डर के आधार पर पक्षपाती भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व व शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। स्कीम का उद्द्रेश्य लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मकता, शिक्षा और पोषण देने के लिये सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यान्वयन हरियाणा के असंतुलित लिंगानुपात वाले 12 जिलों – महेन्द्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, कैथल, भिवानी और पानीपत में किया गया। ये जिलें देश के असंतुलित लिंगानुपात वाले 100 जिलों के अन्तर्गत बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लागू करने के लिये चुने गये हैं।

सभी 12 जिलें लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के अस्तित्व व शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक समुदायों को जोड़ कर उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिये कार्य योजना बनाई गई।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा सभी राजनीतिज्ञों को शामिल करते हुए पंचायती राज सदस्य, एन0जी0ओ0, साक्षर महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, कांउसलर, मेयरस्, जिला परिषद सदस्य और समुदाय आदि के साथ मिल कर इस की शुरुआत की गई। जिलों पर यह प्रचार यात्रा 17 से 19 जनवरी तक चलाई गई। इस प्रचार यात्रा का उद्देश्य सभी समुदायों को इकट्ठा करके जागरुकता करना रहा। इस स्कीम को लागू करने के लिए राजनीतिज्ञों की भागीदारी जिलों पर रही।

राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला एवं सेमीनार 20 से 21 जनवरी 2015 को पानीपत में चलाया गया जिसमें 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के द्वारा शहरी और ग्रामीण संस्थाओं ने भागीदारी करते हुए इस स्कीम को सुचारु रुप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दू बताये।

वर्ष 2014–15 में 36.89 लाख रु0 की राशि खर्च की गई।

2. **आपकी बेटी हमारी बेटी**

घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लडकी के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना 22.01.2015 से लागू की गई। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21000/– रु0 तथा सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21000/–रु0 की राशि दी जाएगी। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु होने पर लगभग 1.00 लाख रु0 उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। स्कीम का उद्देश्य बेटी के जन्म पर समाज की सकारात्मक सोच में बदलाव तथा उन्हें बेटी के भविष्य का आर्थिक आधार प्रदान करना है।

3. **हरियाणा कन्या कोष**

हरियाणा कन्या कोष राज्य में बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। इस कोष का उद्देश्य है कि बालिकाओं के लिये एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जहां उन्हें विकास व सशक्तिकरण के समान अवसर मिले तथा इस कोष को बालिकाओं के कल्याण, विकास व उन्नति के लिये उठाये जाने वाले कदमों के लिये प्रयोग किया जायेगा।

4. **सुकन्या समृद्धि खाता योजना**

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य असंतुलित लिंगानुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगो की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है।

5. **हरियाणा न्यूट्रीशन मिशन**

बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण व खून की कमी को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूट्रीशन मिशन की तर्ज पर हरियाणा न्यूट्रीशन मिशन गठन की घोषणा की

गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा को इस मिशन के गठन के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है।

विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाएं :–

1. लाडली

इस योजना के अन्तर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता–पिता को 5000/–रु0 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। हरियाणा के निवासी/अधिवासी सभी माता–पिता, जिनकी दूसरी बेटी 20–8–2005 को या इसके बाद पैदा हुई है, बिना किसी जाति/समुदाय/धर्म/आय एवं बेटों की संख्या के भेदभाव के, इस नकद प्रोत्साहन के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत राशि को अगस्त, 2008 से लाभपात्रों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की एक योजना में निवेश करना आरम्भ किया है। इस राशि को दूसरी बेटी के नाम माता/पिता/संरक्षक के माध्यम से निवेश किया जाता है। परिपक्व राशि छोटी बेटी की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं अविवाहित रहने पर वर्तमान ब्याज दरों पर लगभग 96000/–रु0 दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 5879.71 लाख रु0 की राशि व्यय की गई तथा 116922 परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया गया जिसमे पिछले वर्षो 2010–11 से 2013–14 के लाभपात्रों को दी गई किस्तें भी शामिल हैं।

2. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अन्तर्गत राज्य में 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 खण्डों में 25962 आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सर्वागिण विकास एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15–45 वर्ष आयु की अन्य महिलाओं को पूरक पौषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पौषाहार शिक्षा तथा 3 से 6 साल के बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा की सेवाएं समेकित रुप से प्रदान की गई।

आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र.	जिला	आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों की संख्या	आगंनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
			स्वीकृत	कार्यरत
1	अम्बाला	7	1213	1213
2	भिवानी	12	1916	1916
3	फरीदाबाद	6	1294	1294
4	गुड़गांव	6	1033	1033
5	हिसार	10	1741	1741

6	जीन्द	9	1439	1439
7	कुरुक्षेत्र	6	1075	1075
8	करनाल	7	1482	1482
9	नारनौल	6	1201	1201
10	पानीपत	6	1045	1045
11	पंचकुला	4	534	534
12	रोहतक	6	1004	1004
13	रेवाड़ी	6	1099	1099
14	सोनीपत	9	1482	1482
15	सिरसा	8	1377	1377
16	यमुनानगर	7	1281	1281
17	फतेहाबाद	6	1094	1094
18	झज्जर	7	1130	1130
19	कैथल	7	1264	1264
20	मेवात	7	1150	1150
21	पलवल	6	1108	1108
	कुल	148	25962	25962

जिलावार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(मार्च, 2015 की स्थिति)

क्र.	जिला का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता		आंगनवाड़ी सहायिका	
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	अम्बाला	1213	1187	1168	1146
2.	भिवानी	1916	1911	1884	1879
3.	फरीदाबाद	1294	1274	1279	1256
4.	गुड़गांव	1033	1028	1024	1022
5.	हिसार	1741	1720	1721	1682

6.	जीन्द	1439	1415	1434	1407
7.	कुरुक्षेत्र	1075	1068	1044	1037
8.	करनाल	1482	1476	1457	1454
9.	नारनौल	1201	1159	1195	1138
10.	पानीपत	1045	1042	1040	1037
11.	पंचकुला	534	521	401	378
12.	रोहतक	1004	985	1000	967
13.	रेवाड़ी	1099	1077	1082	1052
14.	सोनीपत	1482	1461	1480	1453
15.	सिरसा	1377	1076	1346	1300
16.	यमुनानगर	1281	1267	1245	1220
17.	फतेहाबाद	1094	1069	1077	1061
18.	झज्जर	1130	1109	1123	1095
19.	कैथल	1264	1260	1242	1236
20	मेवात	1150	1117	1120	1094
21	पलवल	1108	1087	1088	1051
	कुल	25962	25309	25450	24965

राज्य की 148 परियोजनाओं में 25962 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1105095 छः मास से छः वर्ष आयु तक के बच्चों जिसमें 530582 लड़कियां हैं तथा 152787 गर्भवती महिलाओं एवं 164068 दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौषाहार दिया गया।

आगंनवाडी केन्द्रों के 0–6 वर्ष के 445544 बच्चों को पोलियो व डी.पी.टी, 415212 बच्चों को बी.सी.जी., 442614 बच्चों को खसरे से बचाव के टीके तथा 389357 गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके लगवाए गए। वर्ष के दौरान 3 से 6 वर्ष के 398895 बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने की हिदायतें जारी की गई।

(i) आई.सी.डी.एस. योजना को सुदृढ़ तथा पुनर्गठन करना

भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. योजना को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ तथा पुनर्गठन किया गया। जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधार, नार्मज में बदलाव तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में आई.सी.डी.एस. योजना को मिशन मोड में लागू करना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा 9 जिलों नामतः फरीदाबाद, कैथल, गुड़गाव, पानीपत, यमुनानगर नारनौल, भिवानी,

रेवाडी व रोहतक का चयन किया गया। इन जिलों में गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं, बच्चों तथा किशोर बालिकाओं के लिए पौषाहार की संशोधित दरे लागू की जाएगीं। इन जिलों में बच्चों को 6/– रु0 प्रति बच्चा, 7/– रु0 प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता तथा 9/– रु0 प्रति अत्याधिक कुपोषित बच्चों की दर से पूरक पौषाहार प्रदान किया जाएगा।

(ii) पूरक पौषाहार

राज्य सरकार द्वारा पूरक पौषाहार जिसमें निर्धारित नार्मस के अनुसार ओसत पोषक तत्व महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए 600 कैलोरिज एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चों के लिए 500 कैलोरिज एवं 12–15 ग्राम प्रोटीन, तथा अति कुपोषित बच्चों के लिए 800 कैलोरिज एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन, 5/–रु0 की दर से प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता एवं किशोरी बालिकाओं को, 4/–रु0 की दर से प्रति बच्चा एवं 6 रु0/– की दर से प्रति अति कुपोषित बच्चे को प्रदान किया गया।

पूरक पौषाहार में खाने के लिए तैयार पौषाहार जैसे पंजीरी, भरवा पराठा, आलू पूरी, मीठे चावल, मीठा दलिया खिचडी, गुलगुले, चना, मुरमुरा, मुंगफली मिक्सचर इत्यादि वितरित किये गये। खाद्य सामग्री तैयार करवाने के लिए हैफड से खाद्य तेल व भारत सरकार से बीपीएल रेट पर चावल तथा गेंहू व राष्ट्रीय लघु उद्योग लि0 से डबल फोरटीफाईड नमक तथा अन्य खादय सामग्री जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा खरीदने उपरान्त महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार करके, 06 मास से 3 वर्ष तक के बच्चों एवं माताओं को टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दो बार राशन (सुबह स्नैक एवं Meal) वितरित किया गया। खाद्य सामग्री तैयार करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह/मदर ग्रुप को उक्त वित्तीय नार्मस में से एक रुपये प्रति लाभपात्र प्रति दिन मजदूरी, ईधन, पिसाई इत्यादि के लिए दिया गया।

(iii) पंजीरी प्लांटः–

राज्य में 2 पंजीरी प्लांट गुड़गांव तथा घरौण्डा में चलाये जा रहे हैं जिनमें समेकित बाल विकास सेवायें योजना के लाभपात्रों के लिए पौष्टिक पंजीरी तैयार की जाती है। इन पंजीरी प्लांटों में वर्ष 2014–15 में कुल 18272.68 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया।

पंजीरी प्लांट गुड़गांव में 8624.03 क्विंटल पंजीरी तथा घरौण्डा में 9647.65 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया। वर्ष 2014–15 में पंजीरी प्लांट, गुड़गांव 268 दिन तथा घरौण्डा प्लांट 277 दिन कार्यरत रहा।

(iv) साक्षर महिला समूह

साक्षर महिला समूहो द्वारा गांव में मुख्य मुदद‌े जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पौषाहार शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं व बालिकाओं एवं बच्चों व ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे चेतना जागृत की गई। वर्ष 2014–15 में 5899 साक्षर महिला समूहो पर 15 लाख रु0 व्यय किए गए।

(v) दिवस एवं सप्ताह

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में स्तनपान सप्ताह तथा राष्ट्रीय पौषाहार सप्ताह, बाल दिवस आदि मनाए गए। 1 से 7 अगस्त 2014 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया जिसका थीम "Breast Feeding : A winning goal for life" था। इस अवसर पर गांव व ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य अमले के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान के बारे में प्रचार किया गया। 1 से 7 सितम्बर 2014 तक मनाये गये राष्ट्रीय सप्ताह पौषाहार सप्ताह का थीम "पौषक आहार देश का आधार" था। इस अवसर पर अच्छे भोजन के बारे में गांव स्तर पर कैम्प लगा कर तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्लोगन प्रतियोगिता, कम मुल्य की रैस्पी व गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं व बच्चों की पौषाहार आवश्यकता बारे प्रचार किया गया। जिला स्तर/गांव स्तर पर बाल दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(vi) आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय

वर्ष 2013–14 के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना पर राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर में किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:–

(लाख रु0 में)

योजना	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल
आई.सी.डी.एस.	2869.65	22577.87	18840.49	44298.01
पूरक पोषाहार	6629.64	6629.64	152.00	13411.28
कुल	**9499.29**	**29207.41**	**18992.49**	**57709.29**

(vii) आंगनवाडी कार्य कत्री बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आंगनवाडी कार्यकताओं तथा हैल्परों के लिए बीमा योजना का संचालन किया गया। यह योजना 18–59 आयु वर्ग की आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व हैल्परों के लिए 2013 तक निशुल्क है। वर्ष 2014–15 में 77 लाभपात्रों को जिनमें से प्राकृतिक मृत्यु के 75, दुर्घटना में मृत्यु के 1, गम्भीर बिमारी के 1 लाभपात्रो को 15 लाख 45 हजार रु0 की राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 4019 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के बच्चों को 48,22,800/– रु0 की राशि स्कॉलरशीप के रुप में प्रदान की गई।

(viii) सुरक्षित भविष्य योजना

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करो तथा हैल्परों के कल्याण हेतु सुरिक्षत भविष्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 561.22 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 48599 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व हैल्पर को लाभ प्रदान किया गया।

(ix) आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण प्रोग्राम

आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एक नियमित गतिविधि है तथा प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में कुल 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है जिनमें से 8 हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा तथा दो प्रशिक्षण केन्द्र कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि द्वारा रादौर में चलाए जा रहे हैं। वूमैन एवैयरनैस एण्ड मैनेजमैंट अकादमी (वामा), राई जिला सोनीपत के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 सुपरवाईजरों के लिए एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाया जा रहा हैं।

वर्ष 2014–15 में 809 आंगनवाड़ी वर्करों तथा 140 सुपरवाईजरों को कार्य प्रशिक्षण, 534 हैल्परों को ओरियन्टेशन कोर्स तथा 3720 आंगनवाड़ी वर्करों, 3974 आंगनवाड़ी हैल्परों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलवाया गया। विभाग के द्वारा नियमित प्रशिक्षण गतिविधियों हेतू 449.29 लाख रुपये जारी किये गये जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्रमांक	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपए में)
1.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़	366.29
2.	कस्तूरबा गांधी नैशनल मैमोरियल ट्रस्ट, रादौर I व II	68.00
3.	मिडल लेवल ट्रेनिंग सैन्टर, वामा, राई, (सोनीपत)	15.00
	कुल	449.29

3. आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण

बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई। सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि आंगनवाड़ी कैन्द्रों को अपने भवनों में चलाये जाने से महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस उद्वेश्य की पूर्ति की लिये इसे मिशन मोड़ में लागू किया गया है। वर्तमान में आगंनवाडी भवन निर्माण की लागत 9.95 लाख रु0 प्रति केन्द्र है।

वर्ष 2014–15 में पंचायती राज विभाग द्वारा 598 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये 51.41 करोड़ रु0 की राशि जारी की गई।

आँगनवाड़ी केन्द्रों की लोकेशन

कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र	सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र				गैर सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र		
	विभागीय भवनों में	सरकारी भवनों में	स्कूलों में	कुल	समुदायिक / गैर सरकारी (बिना किराये) भवनों में	गैर सरकारी / किराये के भवनों में	कुल
25962	4997	1095	2570	8662	8368 / 905	8027	17300

4. किशोरी शक्ति योजना

यह योजना राज्य के 87 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में चलाई गई। स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 मास के लिए 20 किशोरी बालिकाओं का बालिका मण्डल बनाकर प्रदान की गई। लड़कियों को 5.00 रु0 प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोषाहार भी दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 515.00 लाख रु0 का प्रावधान किया गया जिसमें से 342.04 लाख रु0 पूरक पौषाहार पर राज्य सरकार के हिस्से के रुप में व्यय किए गए। योजना के अन्तर्गत 61924 बालिकाओं को पूरक पौषाहार और 61908 बालिकाओं को गृह आधारित कुशलताओं पर प्रशिक्षण देने के साथ–2 स्वास्थ्य, स्वच्छता, पौषाहार एवं बाल देखभाल आदि के ज्ञान से सुसज्जित किया गया।

5. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

यह योजना 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में चलाई गई। इस योजना से किशोरी बालिकाओं को अपने विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पौषाहार, प्रजनन, बाल देख–रेख के प्रति जानकारी में सक्षम किया गया तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को ओपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की गई। योजना के अन्तर्गत पौषाहार के तहत 150065 बालिकाओं को लाभ दिया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2014–15 में 1507.77 लाख रु0 खर्च किए गए।

6. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, इस योजना के तहत 100 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह परियोजना सर्वप्रथम पंचकूला जिले में पायलट परियोजना के रुप में चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला को कवर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत दूध पिलाने वाली महिला को 6000/–रु0 की राशि दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त तीसरी तिमाही में तथा दूसरी किस्त छः महीने प्रसव के बाद मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ शर्तो को पूरा करने तथा गर्भावस्था तथा स्तनपान की अवधि के लिये दी जाती है।

गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को देय राशि हस्तांतरित किए जाने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कंमशः 200 एवं 100 रु0 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

2014–15 में 5586 लाभप्राप्त कर्ताओं को (किस्तों के आधार) पर कवर किया गया। इनमें से 3860 लाभप्राप्त कर्ताओं को पूर्ण लाभ देते हुए 216.42 लाख रु0 की राशि प्रयोग की गई।

7. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पंचकूला में है। आयोग द्वारा अपना कार्य करना शुरु कर दिया गया तथा आयोग की अध्यक्षा श्रीमती सावत्री ढाका तथा दो सदस्यों श्रीमती अनीता नैन व श्रीमती सुषमा आर्य की नियुक्ति कर दी गई।

8. **समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)**

योजना के तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्शन सोसाइटी के माध्यम से चलाया गया। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। बाल देखरेख संस्थानों का उचित मुल्यांकन तथा नियमित निरिक्षण हेतु जिला स्तर तथा राज्य स्तर निरिक्षण कमेटियों को अधिसूचित किया गया। जिला स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा 305 तथा राज्य स्तर की कमेटियों द्वारा 95 निरीक्षण किये गये। इस समय राज्य में कुल 101 बाल देखरेख संस्थायें स्वैच्छिक सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा बच्चों तथा महिलाओ की देख रेख एवं संरक्षण के लिए निम्न होम/गृह चलाये गये:–

(i) **ओबजरवेशन होम** :– राज्य में 18 वर्ष से कम आयु की विधि का उल्लघन करने वाली लड़कियों को ओबजरवेशन होम, करनाल में, 25 लड़कों को ओबजरवेशन होम फरीदाबाद में तथा 44–44 लड़कों को ओबजरवेशन होम अम्बाला तथा हिसार में ज्वाईनल जस्टिस बोर्ड के आदेशों से रखे जाने का प्रावधान रहा।

(ii) **स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे गृह:–**

(क) **आश्रय गृह रिवाड़ी तथा छछरौली**

आश्रय गृह रिवाड़ी में संवासियों की क्षमता 25 तथा छछरौली में संवासियों की क्षमता 50 है जिसके विरुद्ध वर्ष 2014–15 में रिवाड़ी में 4 तथा छछरौली में 39 संवासियों को प्रवेश दिया गया।

(ख) **बाल गृह रिवाड़ी तथा छछरौली**

बाल गृह रिवाड़ी में 50 संवासियों तथा बाल गृह छछरौली में 100 संवासियों की क्षमता के विरुद्व वर्ष 2014–15 में बाल गृह रेवाड़ी में 26 तथा बाल गृह छछरौली में 96 संवासियों को प्रवेश दिया गया तथा 40.00 लाख रु0 सहायक अनुदान के रुप में स्वीकृत किए गए। बाल गृह/आश्रय गृह छछरौली और रिवाड़ी को वर्ष 2014–15 में 28.84 लाख रुपयें का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।

राज्य में निम्न सरकारी/स्वैच्छिक संस्थाओं को बच्चों को गोद लेने हेतु प्लेसमेंट एजैन्सी के तौर पर नोटीफाईड किया गया है :–

1. हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्, चण्डीगढ़ – बच्चों को देश/विदेश में गोद देने हेतु।
2. बाल ग्राम राई, सोनीपत – देश में गोद देने हेतु।
3. मैरिएकल चैरिटेबल सोसाईटी देश में गोद लेने हेतू।

(iii) **बाल कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित सहायक अनुदान से संबंधित योजनाएं:–**

(क) समेकित बाल सरंक्षण स्कीम लागू होने के कारण वर्ष 2013–14 में स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाने लगा। वर्ष 2014–15 में 672 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

(ख) निराश्रित एवं अनाथ बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल एवं अन्य बाल कल्याण योजनायें

राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थायें (सरकारी तथा अर्ध सरकारी) जोकि निराश्रित एवं अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रही है, को कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता राशि सहायक अनुदान के रुप में प्रदान किया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत खर्चा संस्थाओं द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। स्वैच्छिक संस्थाओं के बच्चों की मेनटेन हेतु 1000/–रु0 प्रतिमास प्रति बच्चा नान प्लान से सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(ग) बाल ग्राम राई, सोनीपत

बाल ग्राम राई सोनीपत में अनाथ, बेसहारा एवं मीसिंग 0–21 वर्ष तक की लड़कियों को रखे जाने का प्रावधान है। इस संस्था में लड़कियों को उनका पालन–पोषण, शिक्षा, खाद्य सामग्री, वस्त्र, जूते, चिकित्सा प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलिफोन बिल, बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतू अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2014–15 में संस्था को राज्य सरकार द्वारा नॉन प्लान बजट से बच्चों की मेनटेनस हेतु अनुदान 1044000/– तथा आई0सी0पी0एस0 प्लान बजट से 1124000/– लाख रु0 का सहायक अनुदान रिलीज किया जा चुका है तथा संस्था के प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलिफोन बिल, बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतु 35.00 लाख रु0 का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।

इस स्कीम में वर्ष 2014–15 में 35.00 लाख रु0 का बजट में प्रावधान है तथा वर्ष 2014–15 में 100 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

(घ) हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन (स्टेट ओर्फनज़)

हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन करनाल में अनाथ एवं बेसहारा 7–18 वर्ष तक के लड़कों को रखे जाने का प्रावधान है। बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा, खाद्य सामग्री, वस्त्र, जूते, चिकित्सा प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलिफोन बिल, बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतू अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2014–15 में इस संस्था को राज्य सरकार द्वारा नॉन प्लान बजट से बच्चों की मेनटेनस हेतु अनुदान 828000/– रु0 तथा आई0सी0पी0एस0 प्लान बजट से 1124000/– लाख रु0 का सहायक अनुदान रिलीज किया जा चुका है तथा संस्था चिकित्सा प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलिफोन बिल, बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतु 30.00 लाख रु0 का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।

इस स्कीम में वर्ष 2014–15 में 30.00 लाख रु0 का बजट में प्रावधान है तथा वर्ष 2014–15 में 69 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

9. ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक

परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को क्रमशः 2000/–रु0, 1500/–रु0 व 1000/–रु0 पुरस्कार में दिए जाते हैं। इस योजना को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10+2 कक्षा में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी कवर किया गया है जिन्हें क्रमशः 3000/– रु0, 2500/– रु0 व 2000/– रु0 पुरस्कार स्वरुप दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 14.52 लाख रु0 की राशि व्यय की गई तथा 762 बालिकाओं को पुरस्कार दिए गए।

10. **शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार**

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के बजट में 20 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया गया तथा 16.02 लाख रु0 की राशि व्यय की गई।

11. **सर्वोत्तम माता पुरस्कार**

विभाग द्वारा बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार (बैस्ट मदर अवार्ड) की योजना चलाई जा रही है। सर्कल स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमशः 500/–रु0, 300/–रु0 और 200/–रु0 के पुरस्कार दिए गए। सर्कल स्तर पर चुनी गई माताओं में से ही खण्ड स्तर पर पुरस्कारों के लिए माताओं को चुना गया। खण्ड स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमशः 1000/–रु0, 750/–रु0 और 500/–रु0 के पुरस्कार दिए गए। वर्ष 2014–15 में कुल 3492 माताओं को पुरस्कार दिये गए तथा 27.35 लाख रु0 की राशि आई0सी0डी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत व्यय की गई।

12. **महिलाओं के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता**

महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माण हेतू तथा खेल एवं मनोरजन के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2005–06 में खण्ड स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना चलाई गई। योजना के अंतर्गत 30 वर्ष के ऊपर की महिलाओं/लड़कियों के लिए आलू दौड़, मटका दौड, 100 मीटर दौड़ तथा 30 वर्ष आयु से कम की महिलाओं/लड़कियों के लिए प्रतियोगिताओं में 300 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ तथा 5 कि0मी0 साईकिल दौड़ को शामिल किया गया है। वर्ष 2014–15 में 3060 पुरस्कार प्रदान किये गये तथा 41.06 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

13. **घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार**

घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिलो को प्रति वर्ष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमशः 5.00 लाख रु0, 3.00 लाख रु0 तथा 2.00 लाख रु0 दिये जाते है। यह धन राशि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के विकास पर खर्च की जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान 4.00 लाख रु0 की राशि का प्रथम पुरस्कार पानीपत को, 2 लाख रु0 की राशि का द्वितीय पुरस्कार जीन्द तथा रोहतक को तथा 2 लाख रु0 की राशि का तृतीय पुरस्कार जिला सोनीपत को दिया गया।

14. हरियाणा स्टेट रिर्सोस सैन्टर फॉर वमैन (SRCW)

महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रभावी रुप से संचालित करने के लिये हरियाणा स्टेट रिर्सोस सैन्टर फारॅ वूमैन स्कीम 2013–14 कार्यरत था। हरियाणा स्टेट रिर्सोस सेन्टर द्वारा वामा राई में दो दिन की मास्टर ट्रेनिग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा सुपरवाईजरों द्वारा भाग लिया गया।

लिंग सवेंदनशीलता एवं कानूनी जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचकूला जिले में भट्टो पर काम करने वाली महिलाओं व बच्चों के लिए 12 जागरुकता शिविर लगाए गए। झज्जर जिले में एक राज्य स्तरीय जागरुकता शिविर "सशक्त नारी सशक्त बालिका" का आयोजन किया गया। रोजगार व स्वरोजगार जागरुकता स्पेशल कार्यक्रम के तहत सबला लड़कियों के लिए अम्बाला जिले में 3 शिविरों का आयोजन किया गया। लिंग संवेदनशीलता एवं कानून जागरुकता कार्यक्रम के अंतर्गत रेवाड़ी व रोहतक में सबला लड़कियों के लिए 6 ब्लॉक में जागरुकता शिविर आयोजित किये गये।

15. शून्य सहनशीलता नीति अपनाने व महिलाओं से छेड़छाड़ के विरुद्ध उठाये गये कदम।

विभाग द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, महानिदेशक पुलिस व मण्डल आयुक्तों को हिदायत जारी की गई कि वह महिलाओं तथा बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा से संबधित केसों को निपटाने के लिए शून्य सहनशीलता नीति को अपनायें।

महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों में जैसे की पुलिस, परिवहन, जनसम्पर्क तथा शिक्षा को सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घरों तथा धार्मिक स्थानों पर महिलाओं/बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

16. तेजाब से पीडित महिलाओ के लिए राहत तथा पुनर्वास योजना

विभाग द्वारा तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत तथा पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिला बोर्ड जिसके अध्यक्ष जिला मैजिस्ट्रेट एवं राज्य बोर्ड जिसके अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री है, के माध्यम से उन तेजाब से प्रभावित पीड़ितों को जो हरियाणा के निवासी है, सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस योजना को संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार गृह विभाग द्वारा चलाई जा रही पीड़ित मुआवजा योजना के अन्तर्गत देखभाल तथा पुनर्वास हेतू राज्य/जिला लीगल अथोरिटी द्वारा शरीर के किसी अंग का भंग होना तथा प्लास्टिक सर्जरी के लिये 3.00 लाख व शरीर का कोई अंग भंग व प्लास्टिक सर्जरी न होने पर 50,000/– रुपये की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त तेजाब हमले से पीड़ित महिला/लड़की के ईलाज पर होने वाला शत–प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ईलाज के दौरान यदि तेजाब पीड़ित महिला/लड़की की मृत्यु हो जाती है तो राज्य स्तरीय कमेटी वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसके उत्तराधिकारी को 5.00 लाख रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

तेजाब पीड़ित का ईलाज सरकारी/हरियाणा सरकार द्वारा नामित अस्पताल में मुफ्त किया जाता है। वर्ष 2014–15 में 2 लाभपात्रों को 528384/–रुपये की राशि प्रदान की गई।

17. **घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला सुरक्षा अधिनियम–2005**

हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक जिला पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए गए है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति की गई है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पीडितों को सहायता प्रदान करने के लिये हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैडक्रास समितियों, जिला बाल कल्याण परिषदों आदि 27 संगठनों को सेवा प्रदाता के रुप में रजिस्टर्ड किया गया। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई को संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारियों के प्रशिक्षण एंव क्षमता निर्माण का कार्य सौपां गया। 2014–15 में टाटा इंस्टीट्यूट आफ सार्शेल साईंस द्वारा हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, करनाल में संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारियों, महिला थाना अध्यक्ष व जिला बाल संरक्षण अधिकारीं को 2–2 दिन की ट्रेनिग दी गई। संरक्षण अधिकारियों एवं प्रतिषेध अधिकारियों के लिए आत्म सुरक्षा पर तीन दिन की कार्याशाला का आयोजन किया गया। वर्ष 2014–15 में संरक्षण अधिकारियों द्वारा घरेलू हिंसा के तहत 7330 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 3700 केसों में घरेलू हिंसा रिपोर्ट भरी गई। 777 केसों में पीडित महिलाओं के अनुरोध पर न्यायालय में केस, 2508 केसों को मध्यता के माध्यम से सुलझाया गया तथा गांव, खण्ड व जिला स्तर पर 873 जागरुक गतिविधियों का आयोजन किया गया। बाल विवाह से सम्बन्धित 251 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 145 बाल विवाह रुकवायें गये तथा 12 शिकायतों को पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजा गया था।

18. **कामकाजी महिला होस्टल**

कामकाजी महिलाओं को किफायती दरों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के 14 जिलों में 16 कामकाजी महिला होस्टल रैडक्रास सोसाइटी/नगरपालिकाओं/संस्थाओं द्वारा अम्बाला (2), भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार (2), जीन्द, जगाधरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक (2), रिवाड़ी, पानीपत तथा सिरसा में चलाए जा रहे है।

19. **महिला मण्डलों से सम्बन्धित योजनांए**

महिला मण्डलों से संबंधित योजनाओं जिनके नाम महिला मण्डल सम्मेलन योजना, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार, अन्तर्राजीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम है, चलाई गई। महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को घर से दूर अन्य राज्यों में ले जाकर महिलाओं से संबंधित आर्थिक उद्योग–धन्धों आदि के बारे में विचार विमर्श करके व दिखाकर लाभ उठायें जाने का अच्छा मौका प्रदान किया गया। इन महिलाओं को रास्ते में पढ़ने वाले ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया गया। महिला मण्डलों को 5000/– रु0 प्रति महिला मण्डल प्रति वर्ष वित्तिय सहायता दी गई। वर्ष 2014–15 के दौरान अन्तर्राजीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के लिए 34.95 लाख रु0 की राशि जिला कार्यक्रम अधिकारियों को जारी की गई।

20. **परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर.एफ.डी.)**

महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सुदृढ बनाने के लिए विभाग ने परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार किया है जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण, 6 वर्ष से कम बच्चों का

संरक्षण एवं विकास, आंगनवाडी केंद्रो का सुलभीकरण, कानून एवं कार्यक्रमो के माध्यम से जरुरतमंद बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, स्वास्थ एवं जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से किशोरियों का सशक्तिकरण करना आदि विषयो को प्राथमिकता दी गई है।

परिणाम ढांचा दस्तावेज के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत हो रही उपलब्धियां की निगरानी उच्च स्तर के प्रबन्धन द्वारा की जा सकती है। दस्तावेज की प्रगति का मुल्यांकन त्रैमासिक किया गया।

21. संचार एवं प्रचार

लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने, सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने, महिलाओं तथा बालिकाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए संचार एवं प्रचार के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियां शुरु की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, बाल दिवस व राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अखबारों में विज्ञापन देकर महिलाओं एवं बालिकाओं की योजनाओं का प्रचार किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 19.80 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

विभाग में एक लघु पुस्तकालय भी है जिसमें वर्ष 2014–15 के अन्त तक 2705 पुस्तकें थी।

22. अमला

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के नियन्त्रण में जो योजनाएं हैं, इनके अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले की स्थिति को परिशिष्ट–'ख' पर दर्शाया गया है।

23. चौकसी

वर्ष 2014–15 में चौकसी से सम्बन्धित मामलों की रिपोर्ट शून्य है।

24. हरियाणा महिला विकास निगम

आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं के विकास की गतिविधियों को विकसित करने, जागृति जागरण, व्यवसायिक प्रशिक्षण व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करने हेतू हरियाणा महिला विकास निगम कार्यरत है। निगम की अधिकृत हिस्सापूंजी 30 करोड़ रु0 है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में निगम को प्रशासनिक खर्चा के लिए 200.00 लाख रु0 व्यय की मदो हेतू स्वीकृत किए गये। वर्ष 2014–15 में ऋण योजना के अन्तर्गत 499 महिलाओं को कवर किया गया।

(क) बालिका शिक्षा ऋण योजना

राज्य सरकार द्वारा लड़कियों/महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना लागू है जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देश/विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट–ग्रेजुएट/डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किये जाते है। जिसमें ब्याज सबसीड़ी 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 में विभिन्न बैंकों द्वारा 499 लाभपात्रों को ऋण सबसीडी जारी की गई तथा 906845.00 रुपये की राशि खर्च की गई।

(ख) वुमैन अवेयरनैस एण्ड मैनेजमैन्ट अकादमी –'वामा'

राई (जिला सोनीपत) में आधारभूत महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए वूमैन अवेयरनैस एण्ड मैनजमैंट अकादमी 'वामा' चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था को अपग्रेड करके रीजनल लेवल जैण्डर ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट बनाया है जिसमें जैण्डर संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष के दौरान संस्था द्वारा 809 आंगनवाडी वर्करों को जॉब तथा 534 आंगनवाडी हैल्परों को ओरियनटेशन ट्रैनिग व 140 सुपरवाईजरों को जॉब प्रशिक्षण तथा 3720 आंगनवाडी वर्करों व 3974 हैल्परों को रिफरेसर ट्रैनिग दी गई।

25. हरियाणा राज्य महिला आयोग

हरियाणा राज्य में महिलाओं के उत्थान उनके कानूनों की रक्षा और महिलाओं के लिए कल्याणकारी नीतियों के लिए कार्य करने के उद्देश्य से सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.12.1999 के द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग को और सशक्त बनाने एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए इसे हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम संख्या 2012 के अन्तर्गत स्थापित करके वैधानिक दर्जा दिया गया है।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने इस आयोग की अध्यक्षा, उपाध्यक्ष एवं पांच गैर–सरकारी सदस्यों को नामांकित किया गया।

वर्ष के दौरान आयोग में अत्याचारों/अपराधों से सम्बन्धित 733 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों/मीडिया में छपी खबरों पर संज्ञान लिया गया, जिनकी संख्या 189 थी।

राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 में 60 लाख रु0 सहायक अनुदान के रुप में इस आयोग को जारी किए गए, जो कि वर्ष में व्यय किए गए।

26. हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना व्यय का 50 प्रतिशत तथा चेयरमैन के भत्ते, पी.ओ.एल., आदि के व्यय के लिए शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 में समाज कल्याण बोर्ड को 60.00 लाख रु0 प्रदान की गई जिसमें से 55.91 लाख रु0 व्यय की गई।

27. विधवा एवं निराश्रित गृह (महिला आश्रम करनाल, रोहतक व कस्तूरबा सेवा सदन फरीदाबाद)

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा रोहतक, करनाल व फरीदाबाद में विधवा/निराश्रित महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के लिए गृह चलाये जा रहे है। इन गृहों में प्रारम्भ में 3 वर्ष एवं विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष का कार्यकाल बढाने अर्थात अधिकतम 5 वर्ष रखने का प्रावधान है। इन गृहों में नौजवान विधवा महिलाओं तथा ऐसी महिलायें जिनके पति द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया हो तथा उनका कमाऊ पुत्र न हो, न ही कोई पुरुष रिश्तेदार सहायता करने वाला हो को प्रवेश दिया जाता है। ऐसी महिलाओं जिनके पति क्षयरोग जैसी भयंकर बीमारी से पीडित हों अथवा मानसिक रोग से पीड़ित हो तथा कमाने की स्थिति में नही और उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई न हो को भी प्रवेश दिया जाता है। निराश्रित लड़किया जिनका कोई ना हो उनकी शादी या रोजगार मिलने तक जो भी पहले हो प्रवेश दिया जाता है। ऐसे महिलाएं जिनका बच्चे 16 वर्ष से कम है, को संस्था में प्रवेश दिया जाता है। इन गृहों में संवासियों को आवास, शिक्षण–प्रशिक्षण की सुविधायें मुफ्त प्रदान की

जाती है तथा प्रत्येक संवासी को 600/– रु0 प्रतिमास गुजारा भत्ता व 150/– रु0 प्रतिमास प्रति व्यक्ति कपड़ा भत्ता दिया जाता है। अकेली महिला संवासी को प्रतिमास 700/– रु0 गुजारा एवं 150/– रु0 कपड़ा भत्ता दिया जाता है। संवासियों को गृह के अंतर्गत चलाये जा रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपनी आमदनी में बढ़ौतरी कर सके। शादी योग्य लड़कियों की शादी में 15,000/– रु0 सहायक अनुदान के रुप में दिये जाते है वर्ष 2014–15 में उपरोक्त संस्थाओं में लाभपात्रों की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

क्र0	संस्था का नाम	संवासी	आश्रित	कुल लाभपात्र
1.	महिला आश्रम, रोहतक	43	52	95
2.	महिला आश्रम, करनाल	43	49	92
3.	कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद	13	15	28
	कुल	**99**	**116**	**215**

वर्ष 2014–15 में इन संस्थाओं पर कुल 158.01 लाख रु0 खर्च हुए।

28. राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) करनाल

महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा एक राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) करनाल (नारी निकेतन) चलाया जा रहा है। इस संस्था में 18 वर्ष/18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं/लड़कियों को जिन्हें सुधार गृहों से रिहा किया जाता है और उनको नैतिक खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता हो तथा किसी कठिन स्थिति में कोर्ट के माध्यम से प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। इस संस्था में संवासियों को आवास, भोजन, वस्त्र आदि सभी सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है और उसे समाज का अच्छा नागारिक बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जाते है:–

1. अविवाहित लड़कियों/युवा महिलाओं की योग्य व्यक्तियों के साथ शादी करना।
2. उनके माता–पिता या संरक्षकों के पास वापिस भेजना आदि।
3. विवाह योग्य संवासी के विवाह के समय 15,000/– रु0 की (12,000/– रु0 शादी खर्च व 3000/– रु0 संवासी के नाम अवधि जमा के रुप में) सहायता प्रदान करना।

वर्ष 2014–15 के दौरान 407 संवासियों को प्रवेश दिया गया। संस्था में प्रतिदिन कोर्ट के माध्यम से संवासी प्रवेश/रिहा किये जाते है। वर्ष 2014–15 में इस योजना पर 39.55 लाख रु0 खर्च किये गये।

परिशिष्ट– 'क'

DIRECTORATE OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT, HARYANA, CHANDIGARH. EXPENDITURE UPTO 31-03-2015													
BUDGET AT A GLANCE													
													Rs in lac.
Sr. No.	Name of the Scheme	Approved Budget 2014-15				Revised Budget 2014-15				Expenditure upto 3/2015			
		State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SOCIAL WELFARE SECTOR												
	I DIRECTION & ADMINST-RATION												
1	Staff for Headquarter	20.00	0.00	497.50	**517.50**	20.00	0.00	420.50	**440.50**	11.08	0.00	409.46	**420.54**
2	Communication & Publicity (Planning-cum-Monitoring Cell) & I.T. Plan.	20.00	0.00	0.50	**20.50**	20.00	0.00	0.50	**20.50**	19.80	0.00	0.00	**19.80**
	Total :	**40.00**	**0.00**	**498.00**	**538.00**	**40.00**	**0.00**	**421.00**	**461.00**	**30.88**	**0.00**	**409.46**	**440.34**

	II. CHILD WELFARE												
3	I.C.D.S.	512.00	0	0	**512.00**	515.00	0	0	**515.00**	361.00	0.00	0.00	**361**
4	LADLI	6600.01	0.00	0.00	**6600.01**	7400.00	0.00	0.00	**7400.00**	5879.71	0.00	0.00	**5879.71**
5	Jawahar Bal Bhawan.	0.00	0.00	0.10	**0.10**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
6	Kishori Shakti Yojana.	0.00	65.00	0.00	**65.00**	0.00	65.00	0.00	**65.00**	0.00	60.08	0.00	**60.08**
7	Improving Infants & Young Child Feeding.	20.00	0.00	0.00	**20.00**	10.00	0.00	0.00	**10.00**	16.02	0.00	0.00	**16.02**
8	Awards for Rural Adol-escent Girls	16.00	0.00	0.00	**16.00**	15.00	0.00	0.00	**15.00**	14.52	0.00	0.00	**14.52**
9	Grant in aid to Volluntary Organisation, Children Village, Chhachhrauli	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
10	Welfare of Destitute Children services in need of Care & Protection	0.00	0.00	75.00	**75.00**	0.00	0.00	25.00	**25.00**	0.00	0.00	25.74	**25.74**
11	Holiday Homes	0.00	0.00	1.50	**1.50**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
12	S.O.S. Children's Village, Rai (Sonepat)	0.00	0.00	35.00	**35.00**	0.00	0.00	35.00	**35.00**	0.00	0.00	35.00	**35.00**
13	State Orphanage	0.00	0.00	30.00	**30.00**	0.00	0.00	30.00	**30.00**	0.00	0.00	30.00	**30.00**

14	Beti Bachao Beti Padao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00	223.00
15	Grant in aid to Volluntary Organisation working in the field of Child Welfare (Juvenile Justice Fund)	10.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Skill Building and Rehabilitation of Juvenile-Establishment of workshop, Library, Play Ground etc.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Scheme for Financial Assistance and Support Services to the Victims of Rape	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG) - SABLA	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	128.87	0.00	128.87
19	State Commission for Protection of Child Rights	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	37.50	37.50
	Total :	7159.01	665.00	191.60	8015.61	7949.00	888.00	140.00	8977.00	6271.25	411.95	128.24	6811.44

Sr. No.	Name of the Scheme	Approved Budget 2014-15				Revised Budget 2014-15				Expenditure upto 3/2015			
		State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total
	III. WOMEN WELFARE												
20	Strengthening of Volluntary Sector (Training-cum-Production Centre & Stipendary Schemes).	1800.00	0.00	0.00	**1800.00**	1300.00	0.00	0.00	**1300.00**	576.18	0.00	0.00	**576.18**
21	Construction of Working Women Hostels.	0.00	0.00	20.00	**20.00**	0.00	0.00	1.00	**1.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	Incentive Awards to Mahila Smooh	0.00	0.00	35.00	**35.00**	0.00	0.00	35.00	**35.00**	0.00	0.00	34.61	**34.61**
23	Gender Sensitization.	17.00	0.00	0.00	**17.00**	17.00	0.00	0.00	**17.00**	16.09	0.00	0.00	**16.09**
24	Distt. & Block Level Staff of Women Wing.	0.00	0.00	12.30	**12.30**	0.00	0.00	12.00	**12.00**	0.00	0.00	8.96	**8.96**
25	Swavlamban (NORAD)	15.00	0.00	0.00	**15.00**	15.00	0.00	0.00	**15.00**	8.40	0.00	0.00	**8.40**

26	Protection of Women's from Domestic Violence (Setting-up of Cells).	150.00	0.00	0.00	**150.00**	150.00	0.00	0.00	**150.00**	107.94	0.00	0.00	**107.94**
27	Future Security Scheme of Insurance for Anganwadi Workers / Helper.	400.00	0.00	0.00	**400.00**	534.00	0.00	0.00	**534.00**	310.21	0.00	0.00	**310.21**
28	Home-cum-Training Centres for Destitute Women and Widows	0.00	0.00	177.00	**177.00**	0.00	0.00	160.60	**160.60**	0.00	0.00	151.91	**151.91**
29	Setting up of Vocatio-nal Training Centres for Women	0.00	0.00	1.00	**1.00**	0.00	0.00	1.00	**1.00**	0.00	0.00	0.36	**0.36**
30	Cash dole to outside Dolees/ Informaries.	0.00	0.00	0.20	**0.20**	0.00	0.00	0.20	**0.20**	0.00	0.00	0.11	**0.11**
31	Maintenance of Home by PWD (B&R).	0.00	0.00	8.00	**8.00**	0.00	0.00	8.00	**8.00**	0.00	0.00	5.63	**5.63**

	(B&R).												
32	State After Care Home for Girls, Karnal	0.00	0.00	45.15	**45.15**	0.00	0.00	43.75	**43.75**	0.00	0.00	39.55	**39.55**
33	Home-cum-Vocational Training Production Centres for Young Girls/ Women and Destitute women and widows. **(Grant N0.8 B&R)**	65.00	0.00	0.00	**65.00**	65.00	0.00	0.00	**65.00**	22.13	0.00	0.00	**22.13**
34	Relief & Rehabilitation of women Acid Victims	25.00	0.00	0.00	**25.00**	25.00	0.00	0.00	**25.00**	7.82	0.00	0.00	**7.82**
35	NABARD Loan for construction of AWCs. **(4235)**	16248.50	50.00	0.00	**16298.50**	16246.00	5063.00	0.00	**21309.00**	4962.38	0.00	0.00	**4962.38**
36	Financiing for Rashtriya Swasthiya Bima Yojana (RSBY)	25.00	0.00	0.00	**25.00**	3.50	0.00	0.00	**3.50**	7.12	0.00	0.00	**7.12**

	IV. OTHER EXPENDITURE												
37	Grant-in-aid to Haryana State Social Welfare Advisory Board	0.00	0.00	60.00	**60.00**	0.00	0.00	60.00	**60.00**	0.00	0.00	55.91	**55.91**
38	Haryana Women Develop-ment Corp-oration.	0.00	0.00	200.00	**200.00**	0.00	0.00	200.00	**200.00**	0.00	0.00	200.00	**200.00**
	a) Subsidy	300.00	0.00	0.00	**300.00**	300.00	0.00	0.00	**300.00**	210.00	0.00	0.00	**210.00**
	b) Share Capital **(4235)**	50.00	0.00	0.00	**50.00**	50.00	0.00	0.00	**50.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
39	Haryana State Commiss-ion for Women	0.00	0.00	60.00	**60.00**	0.00	0.00	60.00	**60.00**	0.00	0.00	60.00	**60.00**

40	Financial Assistance to Women Awareness & Management Academy (WAMA).	40.00	0.00	0.00	**40.00**	40.00	0.00	0.00	**40.00**	20.00	0.00	0.00	**20.00**
	Implementation of JJ Act												
41	Juvenile Boards	0.00	0.00	4.78	**4.78**	0.00	0.00	3.68	**3.68**	0.00	0.00	2.88	**2.88**
	Total	**19135.50**	**50.00**	**623.43**	**19808.93**	**18745.50**	**5063.00**	**585.23**	**24393.73**	**6248.27**	**0.00**	**559.92**	**6808.19**
	Total : State Plan Scheme:	**26334.51**	**715.00**	**1313.03**	**28362.54**	**26734.50**	**5951.00**	**1146.23**	**33831.73**	**12550.40**	**411.95**	**1097.62**	**14059.97**

Sr. No.	Name of the Scheme	Approved Budget 2014-15				Revised Budget 2014-15				Expenditure upto 3/2015			
		State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total
	Sharing Basis Scheme												
42	ICDS	3200.00	29459.50	20115.85	**52775.35**	3200.00	30000.00	20096.70	**53296.70**	2508.65	22577.87	18840.49	**43927.01**
43	Setting up of Anganwadi Training Centres (UDISHA Project)	60.00	540.00	0.00	**600.00**	60.00	540.00	0.00	**600.00**	44.93	404.36	0.00	**449.29**
44	Remand/Observation Home (4235)	700.00	0.00	158.80	**858.80**	700.00	0.00	152.43	**852.43**	700.00	0.00	150.70	**850.70**
45	State After Care Home -cum-Production unit for Boys (Sonepat)	0.00	0.00	32.70	**32.70**	0.00	0.00	37.15	**37.15**	0.00	0.00	38.28	**38.28**
46	Special Home/School (Ambala)	0.00	0.00	16.55	**16.55**	0.00	0.00	12.36	**12.36**	0.00	0.00	9.33	**9.33**

47	Grant-in-aid to Volluantry Organisation for setting of Juvenile / Observation Homes under JJ Act	0.00	0.00	50.00	**50.00**	0.00	0.00	27.00	**27.00**	0.00	0.00	19.17	**19.17**
48	ICPS	400.00	400.00	0.00	**800.00**	135.00	400.00	0.00	**535.00**	400.00	400.00	0.00	**800.00**
49	State Women Empowerment Mission	5.00	100.00	0.00	**105.00**	5.00	100.00	0.00	**105.00**	0.00	24.42	0.00	**24.42**
50	Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Yojna	0.50	0.50	0.00	**1.00**	0.50	0.50	0.00	**1.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sharing Basis Scheme	**4365.50**	**30500.00**	**20373.90**	**55239.40**	**4100.50**	**31040.50**	**20325.64**	**55466.64**	**3653.58**	**23406.65**	**19057.97**	**46118.20**
	Total : Social Welfare Sector	**30700.01**	**31215.00**	**21686.93**	**83601.94**	**30835.00**	**36991.50**	**21471.87**	**89298.37**	**16203.98**	**23818.60**	**20155.59**	**60178.17**

	Sector												
	Nutrition Sector												
1	Supplementary Nutrition Programme (In ICDS).	9750.00	9750.00	172.00	**19672.00**	9750.00	9750.00	166.55	**19666.55**	6629.64	6629.64	152.00	**13411.28**
2	Kishori Shakti Yojna.	450.00	0.00	0.00	**450.00**	450.00	0.00	0.00	**450.00**	281.96	0.00	0.00	**281.96**
3	Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)-Sabla (50:50)	900.00	900.00	0.00	**1800.00**	900.00	900.00	0.00	**1800.00**	689.45	689.45	0.00	**1378.90**
4	Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana	0.00	200.00	0.00	**200.00**	0.00	200.00	0.00	**200.00**	0.00	198.80	0.00	**198.80**
	Total : Nutrition Sector :	**11100.00**	**10850.00**	**172.00**	**22122.00**	**11100.00**	**10850.00**	**166.55**	**22116.55**	**7601.05**	**7517.89**	**152.00**	**15270.94**
	Grand Total :	**41800.01**	**42065.00**	**21858.93**	**105723.94**	**41935.00**	**47841.50**	**21638.42**	**111414.92**	**23805.03**	**31336.49**	**20307.59**	**75449.11**

परिशिष्ट– 'ख'

महिला एवं बाल विकास निदेशालय की मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों पर 31–03–2015 को अमले की स्थितिः–

क्र0	पद का नाम	मुख्यालय			क्षेत्रीय		
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
	श्रेणी – I						
1	निदेशक, आई0ए0एस0	1	1	.	.	.	.
2	अपर निदेशक	2	2	.	.	.	.
3	संयुक्त निदेशक	1	1	.	.	.	.
5	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1	.	.	.	.
	श्रेणी – II						
6	उप निदेशक	4	1	3	.	.	.
7	लेखा अधिकारी	2	2	.	.	.	.
8	प्रचार अधिकारी	1	1	.	.	.	.
9	सहायक जिला न्यायवादी	1	1	.	.	.	.
10	कार्यक्रम अधिकारी	3	3	.	21	17	4
11	पोषाहारिका	1	1	.	.	.	.
12	अधीक्षक	5	5	.	21	21	.
13	मैनेजर, पंजीरी प्लांट	-	-	.	2	2	.
14	बाल विकास परियोजना अधिकारी	-	-	.	148	127	21
	श्रेणी – III						
15	अधीक्षक संस्था	-	-	-	7	6	1
16	उप–अधीक्षक	5	1	4	.	.	.
17	अनुभाग अधिकारी	2	1	1	.	.	.
18	निजी सहायक	1	1	-	.	.	.
19	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-	.	.	.
20	सहायक प्रभारी	1	1	-	.	.	.
21	आंकडा सहायक	3	3	.	137	82	55
22	सहायक / लेखाकार	36	31	5	186	177	9
23	सुपरवाईजर	-	-	-	1016	751	265
25	सामान्य सुपरवाईजर	-	-	-	2	2	
26	सुपरवाईजर (होम)	-	-	-	1	1	.

27	वस्त्राकार	.	.	.	3	3	
28	बुनकर तकनीकी	.	.	.	1	.	1
29	बाटा इन्सट्रक्टर	.	.	.	1	1	.
30	अध्यापक सह सुपरवाईजर बी.ए. बी.एड.	.	.	.	1	1	.
31	चमड़ा तकनीकी	.	.	.	1	.	1
32	अध्यापक बी.ए.बी.एड	.	.	.	1	1	.
33	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	2	2	.	.	.	.
34	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	5	.	5	6	.	6
35	स्टैनों टाईपिस्ट	17	6	11	15	12	3
36	चालक	4	4	.	137	37	100
37	लिपिक	24	11	13	231	133	98
38	ग्राम सेविका	.	.	.	2	2	.
39	हैड वार्डन	.	.	.	3	2	1
40	वार्डन	.	.	.	17	13	4
	श्रेणी – IV						
41	सेवादार	25	16	9	185	95	90
42	चौकीदार	1	.	1	85	50	35
43	स्वीपर–कम–चौकीदार	2	2	.	1	.	1
44	श्रमिक	.	.	.	23	21	2
45	हैल्पर	.	.	.	3	.	3
46	स्वीपर	.	.	.	16	13	3
47	माली	.	.	.	5	3	2
48	रसोईया	.	.	.	9	.	9
49	महिला सह सहायक	.	.	.	3	1	2